

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ०प्र०लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 14 अगस्त, 2010

विषय:- नागर स्थानीय निकायो हेतु वर्ष 2013-14 के लिए कर-करेत्तर राजस्व वसूली के लक्ष्य का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8/2466-2110/32/145-लक्ष्य निर्धारण/08, दिनांक 23.05.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागर स्थानीय निकायो के वर्ष 2013-14 के लिए कर-करेत्तर राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 06.08.13 को शासन स्तर पर हुई बैठक में विचार विमर्श के पश्चात वर्ष 2012-13 में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2013-14 में कर एवं करेत्तर राजस्व लक्ष्य 20 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने पर मत स्थिर किया गया।

अतः गत वर्ष 2012-13 में स्थानीय नागर निकायों हेतु निर्धारित कर-करेत्तर राजस्व वसूली लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान वर्ष 2013-14 में नगर निगमों/जल संस्थानों तथा नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के लिये कर एवं करेत्तर राजस्व लक्ष्य 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ निर्धारित किया जाता है। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उत्तर प्रदेश।
3. समस्त महाप्रबन्धक, जल कल विभाग उ०प्र०।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ०प्र०।
(द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय।)
5. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
6. गार्ड फाइल/ *नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग हेतु*

आज्ञा, से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
उप सचिव।